



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 आषाढ़ 1943 (श10)

(सं0 पटना 560) पटना, बृहस्पतिवार, 1 जुलाई 2021

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

1 जुलाई 2021

एस0 ओ0 111 दिनांक 1 जुलाई 2021— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 09 दिनांक 03 जनवरी 2019, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 20 दिनांक 03 जनवरी 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना के सातवे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात्: -

“परंतु यह भी कि उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो निम्न तालिका के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट किए गए हैं, जो प्ररूप जीएसटीआर-3ख विवरणी को नियत तारीख तक प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं, निम्न तालिका के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट कर अवधि के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत देय विलंब फीस को निम्न तालिका के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा के लिए अधित्यक्त किया जाता है, अर्थात् —

## तालिका

| क्र.सं. | रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग                                                                                                                                    | कर अवधि                   | सीमा जिसके लिये विलंब फीस अधित्यक्त किया गया             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| (1)     | (2)                                                                                                                                                                | (3)                       | (4)                                                      |
| 1       | करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो                                                                                        | मार्च 2021 और अप्रैल 2021 | विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले पंद्रह दिन तक |
| 2       | करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा-धारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं           | मार्च 2021 और अप्रैल 2021 | विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले तीस दिन तक    |
| 3       | करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा-धारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं | जनवरी - मार्च 2021        | विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले तीस दिन तक।”। |

2. इस अधिसूचना को अप्रैल, 2021 के 20वें दिन से लागू माना जाएगा ।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-9)1106)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

1 t.ykb 2021

एस० ओ० 111, दिनांक 1 जुलाई 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय ।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-9)1106 )]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

*The 1st July 2021*

S.O. 111, dated 1st July 2021— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 09 dated the 3<sup>rd</sup> January, 2019, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 20 dated the 3<sup>rd</sup> January, 2019, namely:—

In the said notification, after the seventh proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided also that the amount of late fee payable under section 47 shall stand waived for the period as specified in column (4) of the Table given below, for the tax period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who fail to furnish the returns in **FORM GSTR-3B** by the due date, namely:—

**Table**

| <b>S. No.<br/>(1)</b> | <b>Class of registered persons<br/>(2)</b>                                                                                                                                                       | <b>Tax period<br/>(3)</b>   | <b>Period for which<br/>late fee waived<br/>(4)</b>   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1.                    | Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year                                                                                              | March, 2021 and April, 2021 | Fifteen days from the due date of furnishing return   |
| 2.                    | Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under sub-section (1) of section 39            | March, 2021 and April, 2021 | Thirty days from the due date of furnishing return    |
| 3.                    | Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under proviso to sub-section (1) of section 39 | January-March, 2021         | Thirty days from the due date of furnishing return.”. |

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 20<sup>th</sup> day of April, 2021.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-9)1106)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

*Commissioner State Tax-cum-Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 560-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>